

न्यायालय:- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय,  
चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर आरसीटी / 122 / 2017

दांडिक प्रकरण क.-09 / 17

संस्थापित दिनांक-06.04.17

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>	
विरुद्ध	
01-जंडेल सिंह पुत्र हरवान सिंह लोधी उम्र 20 साल निवासी हिरावल 02-हरबान सिंह पुत्र चतरे लोधी उम्र 40 साल निवासी हिरावल। <div>.....आरोपीगण</div>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री परमार अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 02.08.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 5/180 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी जंडेल को भादवि की धारा 337 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय आरोपी जंडेल के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 एवं आरोपी हरबान के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी बलराम प्रजापति ने दिनांक 26.02.17 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को करीब 11 बजे विजय लोधी की दुकान पर बैठा था, उसी समय सकवारा तरफ से एक मोटरसाईकिल हीरो होंडा स्पलेंडर को उसके गांव का जंडेल लोधी तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और रास्ते में जा रहे एक बच्चे को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बच्चा रोड पर गिर पड़ा। तब वह व अन्य लोग दौड़कर पहुंचे तो देखा कि वह बच्चा देशराज पुत्र तुलाराम आदिवासी निवासी हिरावल का था। जब उसने बच्चे को उठाकर देखा तो बच्चे को कई जगह चोट आई थीं तथा खून निकल रहा था। फिर उसने बच्चे के माता-पिता को खबर दी। मोटर साईकिल क्रमांक एमपी 08 एमडी 8654 था जो उसने लिख लिया था। मोटरसाईकिल चालक जंडेल लोधी टक्कर मारकर मौके से भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 79/17 के अंतर्गत भादवि की धारा 279, 337 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी जंडेल के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 एवं आरोपी हरबान के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ

किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी जंडेल सिंह ने दिनांक 26.02.17 को समय 11.00 बजे ईजीएस स्कूल के सामने, आम रोड, हिरावल चंदेरी पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी 08 एमडी 8654 को लोकमार्ग पर तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।
2. क्या आरोपी जंडेल सिंह ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना लायसेंस प्राप्त किए सार्वजनिक मार्ग पर चालन किया।
3. क्या आरोपी जंडेल सिंह ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा कराए सार्वजनिक मार्ग पर चालन किया।
4. क्या आरोपी हरबान सिंह ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी 08 एमडी 8654 के पंजीकृत स्वामी होते हुए बिना लायसेंस धारक व्यक्ति जंडेल सिंह को यान चलाने की अनुज्ञा दी थी।

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 तुलाराम, अ.सा. 02 बलराम, अ.सा. 03 विजय लोधी, अ.सा. 04 देशराज की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 तुलाराम ने अपने कथन में बताया है कि वह

आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को उसके लडके देशराज को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि देशराज ने उसे बताया था कि जंडेल ने बोला था कि उसे टक्कर मारी थी। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 01 देने से इंकार किया है। अ.सा. 02 बलराम ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को उसे रास्ते में देशराज स्कूल के पास रोड पर पड़ा हुआ मिला था। उक्त साक्षी के अनुसार देशराज को उक्त चोटें कैसे आई, इसकी जानकारी उसे नहीं है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि जंडेल द्वारा मोटरसाईकिल से तेजी व लापरवाहीपूर्वक वाहन को चालित कर देशराज को टक्कर मार दी गई। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि टक्कर लगने से देशराज को चोटें आई थीं। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने टक्कर मारते हुए देखा था।

09— अ.सा. 03 विजय लोधी ने अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने कोई घटना घटित होते नहीं देखी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपी को घटना दिनांक को मोटरसाईकिल चलाते हुए नहीं देखा। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन भी देने से इंकार किया है। अ.सा. 04 देशराज जो कि मामले का आहत भी है ने अपने कथन में बताया है कि उसे घटना दिनांक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसे जानकारी नहीं है कि वाहन कौन चला रहा था।

10— अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि एक भी अभियोजन साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी जंडेल द्वारा आहत को लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकिल से टक्कर मार दी गई थी। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में यह प्रमाणित नहीं हो रहा कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा वाहन को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चालित किया गया।

अभियोजन द्वारा साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं हो रहा है कि आरोपी ने बिना लायसेंस एवं बिना बीमा के वाहन का परिचालन किया और न ही यह प्रमाणित हो रहा है कि वाहन मालिक द्वारा प्रकरण के जप्तशुदा वाहन को बिना लायसेंस धारक व्यक्ति को यान चलाने की अनुज्ञा दी।

11— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी जंडेल को भा.द.वि. की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 एवं आरोपी हरबान को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

13— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः उक्त सुपुर्दनामा निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

14— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
व्य0 न्याया0 वर्ग-01 एवं न्यायाधिकारी  
ग्राम न्यायालय, चंदेरी

(जफर इकबाल)  
व्य0 न्याया0 वर्ग-01 एवं न्यायाधिकारी  
ग्राम न्यायालय, चंदेरी